

मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, अहमदाबाद क्षेत्र,

7वीं मंजिल, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, आम्बावाडी, अहमदाबाद-380019

दूरभाष: (079) 26303612

ई-मेल: ccuahmedabad@gmail.com

फैक्स: (079) 26303607

DGHRD/AC-DC/19/2015

स्थापना आदेश सं. -07/2015

दिनांक: 03 फरवरी, 2015

विषय : उप / सहायक आयुक्त की श्रेणी में स्थानांतरण/तैनाती के बारे में।

फा.सं. A.22013/05/2014-Ad.11 से जारी बोर्ड के कार्यालय आदेश संख्या 13/2015, दिनांक 21 जनवरी, 2015 के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्र, अहमदाबाद के अंदर उप/सहायक आयुक्त की श्रेणी में निम्नलिखित स्थानांतरण एवं तैनाती तुरंत प्रभाव से आदेशित की जाती हैं :

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	कर्मचारी कोड	जन्म दिनांक	वर्तमान तैनाती स्थल	नया तैनाती स्थल
1	एम. ए. पटेल	5778	01.10.1957	के. उ. शु., वड़ोदरा जोन, वड़ोदरा से स्थानांतरण आदेश के अधीन	के.उ.शु., भावनगर
2	रामसहाय डी. मीना	4823	04.07.1957	के. उ. शु., वड़ोदरा जोन, वड़ोदरा से स्थानांतरण आदेश के अधीन	के.उ.शु., भावनगर
3	सी. के. झाला	5193	31.03.1957	के. उ. शु., वड़ोदरा जोन, वड़ोदरा से स्थानांतरण आदेश के अधीन	के.उ.शु., ऑडिट-III, राजकोट
4	डी. टी. ह्यूम	5172	28.02.1957	के. उ. शु., नागपुर जोन, नागपुर से स्थानांतरण आदेश के अधीन	के. उ. शु., कच्छ (नोन-सेंसिटिव)
5	एम. एस. दास	3729	28.04.1958	के. उ. शु., राजकोट	रिलायंस SEZ, जामनगर (सेवानिवृत्ति की रिक्ति के सामने)

02. ऊपर वर्णित क्रम संख्या 5 के अनुसरण में सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मंडल, जामनगर को आवंटित किया गया रिलायंस SEZ, जामनगर का अतिरिक्त कार्यभार वापस लिया जाता है।

03. ऊपर वर्णित अधिकारियों के कार्यग्रहण का दिनांक इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

04. आयुक्त इन अधिकारियों को विशिष्ट नियुक्ति मुख्य आयुक्त की सहमति एवं पूर्व अनुमति के बाद ही आवंटित करें।

05. यह आदेश मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(डॉ. मनोज कुमार राजक)

अपर आयुक्त (मु.आ.का.)

फा. सं. 11/03-09/CCO/2014.Pt.1

दिनांक: 03.02.2015

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सदस्य (क्र. व. त.), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सदस्य (क्षेत्रीय), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को उनके द्वारा दिनांक: 03.02.2015 को दी गई अनुमति के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन), केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड को सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष के निजी सचिव, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
5. मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, वडोदरा ।
6. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, गुजरात क्षेत्र, अहमदाबाद ।
7. महानिदेशक, मानव संसाधन विभाग महानिदेशालय, 409/8, दीपशिखा बिल्डिंग, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110 008 को फाइल संख्या 8/DB/01/HRM(HRD)/2014(Pt.II) दिनांक:30.01.2015के संदर्भ में।
8. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I/II/III/राजकोट/भावनगर एवं सेवा कर, अहमदाबाद/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-I एवं ऑडिट-II, अहमदाबाद/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,ऑडिट-III, राजकोट/ कच्छ ।
9. आयुक्त, सीमा शुल्क, अहमदाबाद, जामनगर, कांडला, मुंद्रा ।
10. मुख्य लेखा अधिकारी, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I/ II/III/ सेवा कर/राजकोट/भावनगर/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, ऑडिट-I एवं ऑडिट-II, अहमदाबाद/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क,ऑडिट-III, राजकोट/ कच्छ ।
11. निजी सचिव, मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद क्षेत्र, अहमदाबाद ।
12. अधीक्षक (सिस्टम), केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, अहमदाबाद-I (इस आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए अनुरोध किया जाता है) ।
13. व्यक्ति विशेष / गार्ड फाइल ।